

अधिष्ठान अनुभाग
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय,
हल्द्वानी (नैनीताल), उत्तराखण्ड

विभागीय अधिकारीगण

क्र.सं.	नाम	पदनाम
1.	डॉ० खेमराज भट्ट	कुलसचिव
2.	श्री विक्रान्त कुमार	सहायक कुलसचिव (अधिष्ठान)

अधिष्ठान अनुभाग कर्मचारीगण:-

क्र.सं.	नाम	पदनाम
1.	श्री संजय भट्ट	वैयक्तिक सहायक (आशुलिपिक ग्रेड-1)
2.	श्री त्रिलोचन पाटनी	वरिष्ठ सहायक
3.	श्रीमती दीपा फुलारा	कोआर्डिनेटर
4.	श्री बलवन्त राम	कोआर्डिनेटर

अधिष्ठान अनुभाग द्वारा सम्पादित क्रियाकलापों का विवरण

अधिष्ठान अनुभाग द्वारा विश्वविद्यालय में कार्यरत् समस्त कार्मिकों के कार्यभार ग्रहण से उनके अधिवर्षता प्राप्ति तक के सेवा संबंधी समस्त कार्यों का निवर्हन किया जाता है, जिसके अन्तर्गत निम्नांकित कार्य सम्मिलित हैं—

1. विश्वविद्यालय में रिक्त समस्त शैक्षिक पदों हेतु विश्वविद्यालय अधिनियम एवं परिनियम में अधिकथित प्रावधानानुसार चयन प्रक्रिया सम्पादित की जाती है। शैक्षिक पदों की चयन प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी <https://www.uou.ac.in/sites/default/files/2020-10/rti-manual-2020.pdf> से प्राप्त की जा सकती है।
2. विश्वविद्यालय में रिक्त समस्त शिक्षणेत्तर पदों हेतु विश्वविद्यालय अधिनियम एवं अध्यादेश में अधिकथित प्रावधानानुसार चयन प्रक्रिया सम्पादित की जाती है। शिक्षणेत्तर पदों की चयन प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी <https://www.uou.ac.in/sites/default/files/2019-12/First-Ordinance-2009.pdf> से प्राप्त की जा सकती है।
3. विश्वविद्यालय में नियुक्त समस्त शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कार्मिकों के वेतन निर्धारण की प्रक्रिया सम्पादित की जाती है।
4. विश्वविद्यालय में नियुक्त समस्त शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कार्मिकों के सेवा अभिलेखों एवं सेवा—पुस्तिकाओं का रख—रखाव एवं यथासमय प्रविष्टियां अंकित की जाती हैं।
5. नियुक्त समस्त शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कार्मिकों की वार्षिक गोपनीय आख्यायें संबंधित विभागों से प्राप्त की जाती हैं तथा पदोन्नति संबंधी समस्त प्रक्रियायें विश्वविद्यालय अधिनियम, परिनियम एवं अध्यादेश में वर्णित व्यवस्थानुसार सम्पादित की जाती हैं।
6. नियुक्त समस्त शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कार्मिकों को विश्वविद्यालय अधिनियम, परिनियम एवं अध्यादेश में वर्णित व्यवस्थानुसार अवकाश अनुमन्य किये जाते हैं, तदसंबंधी अवकाश विवरण सेवा पुस्तिकाओं/ वैयक्तिक पत्रावली में रक्षित किया जाता है। विस्तृत जानकारी <https://www.uou.ac.in/sites/default/files/2020-10/rti-manual-2020.pdf> एवं <https://www.uou.ac.in/sites/default/files/2019-12/First-Ordinance-2009.pdf> से प्राप्त की जा सकती है।
7. नवनियुक्त शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कार्मिकों की परिवीक्षावधि समाप्ति के उपरान्त उनके स्थायीकरण का प्रस्ताव कार्य परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।

8. अधिवर्षता आयु पूर्ण करने वाले कार्मिकों के समस्त देयकों का निर्धारण किया जाता है।
 9. राजभवन तथा शासन स्तर पर आहूत समीक्षा बैठकों में प्रशासनिक एवं शैक्षिक गतिविधियों से संबंधित समस्त कार्यवाहियों का यथासमय सम्पादन/निस्स्तारण किया जाता है। इसके अतिरिक्त विभागीय पत्राचार संबंधी कार्यवाही भी सम्पादित की जाती है।
 10. विधिक कार्यों संबंधित मा0 न्यायालय/आयोगों में योजितवादों के जवाबदावा तैयार किये जाते हैं।
 11. विश्वविद्यालय परिनियम में वर्णित प्राधिकारी निकायों यथा—अध्ययन बोर्ड, योजना बोर्ड, विद्यापरिषद तथा कार्य परिषद के प्रस्ताव एवं कार्यवृत्त तैयार किये जाते हैं। विस्तृत विवरण <https://www.uou.ac.in/mom> से प्राप्त किये जा सकते हैं।
- (समस्त शासकीय पत्राचारों एवं विश्वविद्यालय कार्यवृत्तों का परिचालन ई—मेल के माध्यम से किया जाता है।)

अधिष्ठान अनुभाग से सम्बन्धित प्रमुख लिंक:-

- 1- विश्वविद्यालय अधिनियम लिंक :- <https://uou.ac.in/sites/default/files/2020-09/UOU-ACT-2005.pdf> and <https://uou.ac.in/sites/default/files/2020-09/The-Act-2018.pdf>
- 2- विश्वविद्यालय परिनियम लिंक:- <https://uou.ac.in/sites/default/files/2020-10/rti-manual-2020.pdf> and <https://uou.ac.in/sites/default/files/2020-10/pariniyamabli-30-06-2020.pdf>
- 3- विश्वविद्यालय अध्यादेश लिंक:- <https://uou.ac.in/sites/default/files/2019-12/First-Ordinance-2009.pdf> and <https://uou.ac.in/sites/default/files/2021-03/UOU-PhD-Ordinance-2016.pdf>
- 4- विश्वविद्यालय परिनियम में वर्णित प्राधिकारी निकायों यथा—अध्ययन बोर्ड, योजना बोर्ड, विद्यापरिषद तथा कार्य परिषद से संबंधित लिंक:- <https://www.uou.ac.in/mom>